<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 623

07 फरवरी, 2018 को उत्तर के लिए

आर आई एन एल के लिए पृथक कोयला खान

623. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विशाखापट्टनम खुद के कोयला खंड के अभाव का दुष्परिणाम भुगत रहा है, जो कि इस संयंत्र की समस्याओं का मुख्य कारण है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए एक पृथक कोयला खान आवंटित करने की कोई योजना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आरआईएनएल, विशाखापट्टनम को एक पृथक कोयला खान आवंटित करने का कोई निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(घ) से (क): कोयला खदानों का आवंटन कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 और माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1957 के तहत किये जाते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आरआईएनएल सहित सभी उपक्रमों को कोयला खदान आवंटन प्राप्त करने के लिये कोयला मंत्रालय के पास आवेदन करना होता है, जब भी मंत्रालय द्वारा आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया जाता है।

******